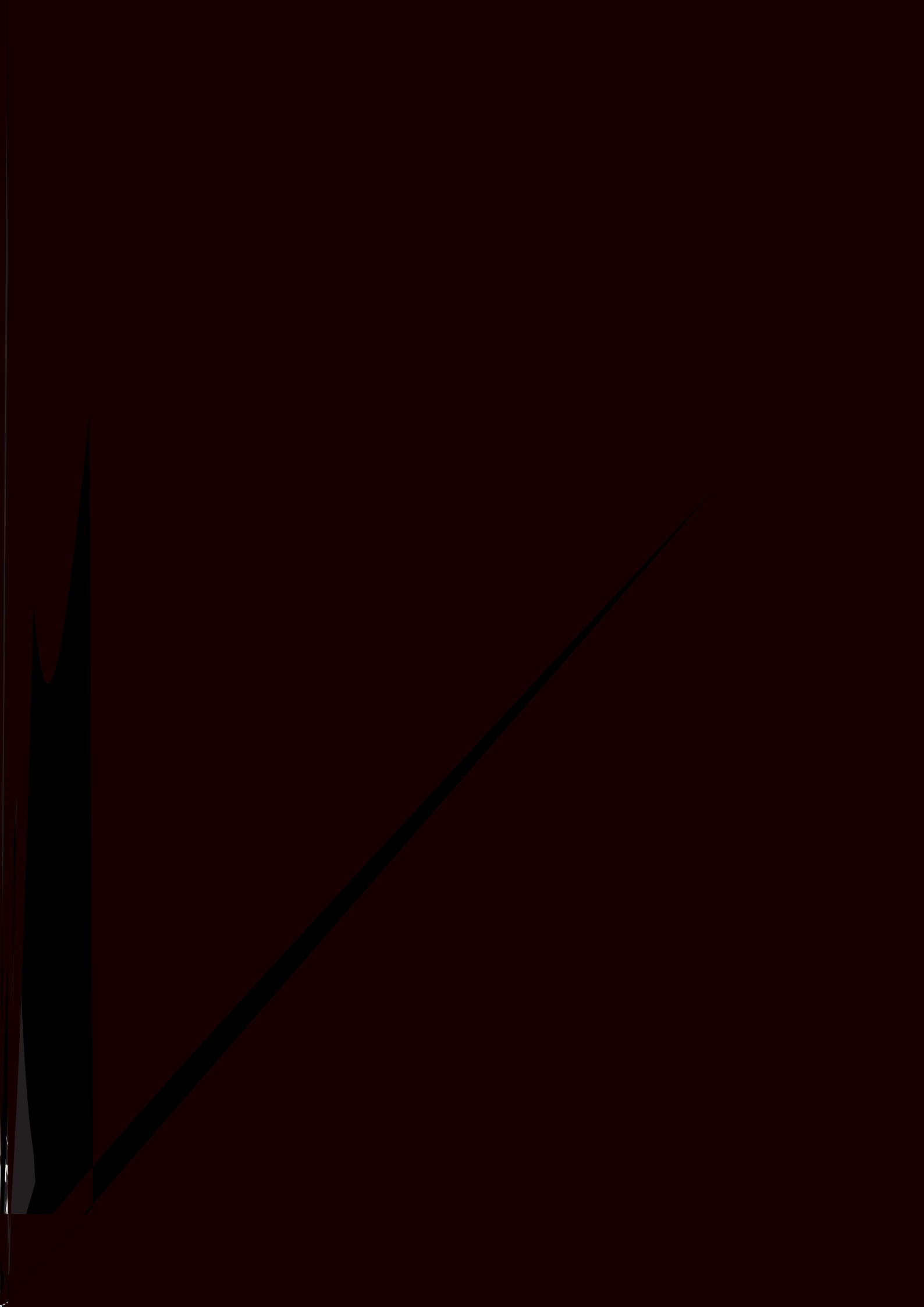

Affiliated To : Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries, Ranchi
Regtn. No. (SRA - 1860) : 708/2009-10 (Govt. of Jharkhand)

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, देवघर
SANTAL PARGANA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES, DEOGHAR

spccideoghar.2021@gmail.com | www.spccideoghar.in

PRESIDENT
ALOK KR. MALLICK
9934503132 | 8409386865

GENERAL SECRETARY
PRAMOD CHHAWCHHARIA
8709873483 | 9431132221

6. झारखण्ड में बाजार समिति शुल्क समाप्त होने के बाद काफी संख्या में कृषि उपज प्रसंकरण उद्योग लगे तथा कृषि उपजों की बिक्री बढ़ी और यहां के किसान तथा थोक एवं खुदरा विक्रेता लाभान्वित हो रहे थे। एक बार फिर से यह विवादित टैक्स लागू होने पर यहां का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा। 2015 में बाजार समिति शुल्क समाप्त किये जाने के बाद यहां लगभग 200 चावल और फ्लावर मिल लगे और लगभग 100 और नये मिल लगने के कगार पर है। फिर से बाजार समिति शुल्क प्रभावी होने पर यह उद्योग भारी घाटे में आकर बंद होने लगेंगे या फिर विस्थापित होने लगेंगे।
7. राज्य के 80 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत गरीब किसान हैं जो अपने अल्प मात्रा के उपज को अपने कस्बे या निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री करते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने अन्य राज्यों की तुलना झारखण्ड में लागू करने की बात की है जो राज्य के मौजूदा भौगोलिक कारणों से किसानों और व्यापारियों के साथ न्यायसंगत नहीं कही जा सकती है।
8. झारखण्ड में किसी भी मंडी में किसी भी किसान का कोई भी उत्पाद बाजार समिति में न तो बिकने के लिए लाया गया और न ही निहित प्रक्रिया (निलामी) के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था बाजार समिति के द्वारा की गई। जब मूल उद्देश्य ही प्रारंभ नहीं हुआ तो फिर बाजार समिति का अस्तित्व एवं बिना कोई सेवा के शुल्क वसूलने की कोशिश औचित्यहीन है।
9. बाजार समिति को पूर्ण रूप से भंग कर दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत विधेयक में बाजार समिति के पुनर्गठन और संरचना की जो बात बताई गई है, उससे भी राजस्व संग्रहण में वृद्धि की जगह अनैतिक वसूली और इंस्पेक्टर राज की वापसी का ही संकेत है।
10. विभिन्न जिलों में बाजार समिति की हालत किसी से छिपी नहीं है। हर जिले में बाजार समिति को एक बड़ा भूखंड उपलब्ध है। अगर सरकार सचमुच किसानों और व्यापार का भला चाहती है तो बाजार समिति की संरचनाओं का विस्तार करे, उसकी उपयोगिता बढ़ाए और उससे आय संवर्द्धन करे। बाजार समितियों में मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ वहां कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग कॉम्पलेक्स, लॉजिस्टिक एवं गोदाम, ट्रान्सपोर्टिंग यार्ड आदि विकसीत कर किसानों और व्यापारियों को उचित दर पर लाभ पहुंचा कर उनके व्यापार को समृद्ध कर सकती है। इससे कृषि विभाग की आय भी बढ़ेगी और वर्तमान में बाजार समिति में कार्यरत कर्मियों का विभाग में समंजन कर उनके वेतन भी बाजार समिति की संपत्ति और संरचनाओं से प्राप्त आय से ही हो जाएगी।

आशा है उपरोक्त तथ्यों पर समुचित विचार कर महोदय उपरोक्त विधेयक को वापस लेने के लिए सरकार को निर्देश देंगे।
आपका ही,

आलोक कुमार मल्लिक
अध्यक्ष, SPCCI

देवघर राइस मिल एसोसिएशन

देवघर जिला खुदरा दुकानदार संघ

मधुपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स

बाजार समिति आलू–प्याज विक्रेता संघ

बाजार समिति फल व्यवसायी संघ

सब्जी विक्रेता संघ

पेड़ा एवं प्रसाद विक्रेता संघ

देवघर जिला कृषक उत्पादन संघ (एफपीओ)

कृषक सहकारी समिति, देवघर

VICE PRESIDENT
UMESH RAJPAL
9431781598 | 7250784754

VICE PRESIDENT
SANJAY MALVIYA
9431134670 | 9576616022

VICE PRESIDENT
PIYUSH JAISWAL
9431163649 | 7717726102

JOINT SECRETARY
ANAND SAH
8521594569

TREASURER
DEEPAK SARAIYAN
9386651205

Correspondence Add. : Swarn Computer Press, Hanuman Tikri, Front of Jalsar Park, Deoghar - 814112 (Jharkhand)

Affiliated To : Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries, Ranchi
Regtn. No. (SRA - 1860) : 708/2009-10 (Govt. of Jharkhand)

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, देवघर
SANTAL PARGANA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES, DEOGHAR

spccideoghar.2021@gmail.com | www.spccideoghar.in

PRESIDENT
ALOK KR. MALLICK
9934503132 | 8409386865

GENERAL SECRETARY
PRAMOD CHHAWCHHARIA
8709873483 | 9431132221

पत्रांक : SPCCI-29/2021-23 दिनांक : 27.04.2022

सेवा में,

श्री हेमन्त सोरेन जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड।

विषय : झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को वापस लेने की मांग के संबंध में ज्ञापन।

महोदय,

विगत 25 मार्च 2022 को विधानसभा में पारित झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 से राज्य के व्यापारियों में असहजता की स्थिति है और राज्य के व्यापारियों के साथ व्यापक सहमति बनाये बिना ही राज्य में फिर से अप्रत्यक्ष रूप से 2 प्रतिशत बाजार समिति शुल्क लगाये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके विरोध में राज्य के कृषि उपज (खाद्य पदार्थ), वन उपज और कृषि प्रसंकरण उद्योग से जुड़े सभी स्तर के किसान और व्यवसायी आन्दोलनरत हैं। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में बाजार समिति सुविधा शुल्क के नाम फिर से अतिरिक्त 2 प्रतिशत शुल्क लग जाने से यहां कृषि एवं खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होगी और पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहां के किसान और व्यापारियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

इस परिपेक्ष्य में आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आकर्षित करते हुए जनहित में उक्त विधेयक को वापस लेने की कृपा की जाय तथा राज्य के किसानों एवं व्यापारियों के व्यवसाय संवर्द्धन में उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय।

1. राज्य में 2 प्रतिशत बाजार समिति शुल्क पहले भी लागू थी। लेकिन राज्यभर के व्यापारिक संगठनों के भारी विरोध और लंबे जद्दोजहद के बाद 2015 में पिछली सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। इस शुल्क के समाप्त होने से किसानों तथा व्यापारियों को राहत मिली थी।
2. इस शुल्क से सरकार को जितना राजस्व संग्रह नहीं होता था, उससे कहीं ज्यादा मंडियों तथा हाट–बाजारों में इसके नाम पर अवैध वसूली, भयादोहन और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। एक बार फिर से बिना किसी नये और बड़े बदलाव के वर्तमान सरकार कृषि बाजार समिति टैक्स का अप्रत्यक्ष बोझ झारखण्ड के व्यापारियों पर थोपना चाहती है जो अव्यावहारिक है तथा फिर से यहां के व्यापारियों एवं जनहित के प्रतिकूल साबित होगा।
3. वर्तमान में हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भी बाजार समिति शुल्क नहीं है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और कृषि मूल्य के लागत में जुड़ जाता है। अतः अपने राज्य में इस शुल्क को पुनः लगाये जाने पर यहां कृषि उत्पादों के लागत मूल्य बढ़ेंगे जिससे यहां के किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों की खरीद–बिक्री में नुकसान उठाना पड़ेगा तथा इनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, जबकि इसका फायदा पड़ोसी राज्य के कृषि व्यापारियों को मिलेगा।
4. झारखण्ड कृषि उत्पादन में एक पिछड़ा राज्य है और यह मुख्य रूप से एक उपभोक्ता राज्य है जहां अधिकतर कृषि उत्पादित वस्तुएं देश के अन्य राज्यों से आती है। अतः बाहर से मंगाये जाने वाले उत्पादों पर यहां कृषि शुल्क लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। शुल्क लग चुके वस्तुओं पर झारखण्ड में भी अलग से टैक्स या शुल्क लगाये जाने की स्थिति में एक ही वस्तु पर दुबारा शुल्क लगने के कारण महंगाई बढ़ेगी तथा उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
5. इस शुल्क के पुनः लागू होने पर झारखण्ड के मुख्य उत्पादन धान की मूल्यवृद्धि होगी जिससे हमारे यहां चावल के दाम पड़ोसी राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुकाबले ज्यादा हो जायेगी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में यहां के चावल का व्यापार अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने लगेंगे।

VICE PRESIDENT
UMESH RAJPAL
9431781598 | 7250784754

VICE PRESIDENT
SANJAY MALVIYA
9431134670 | 9576616022

VICE PRESIDENT
PIYUSH JAISWAL
9431163649 | 7717726102

JOINT SECRETARY
ANAND SAH
8521594569

TREASURER
DEEPAK SARAIYAN
9386651205

Correspondence Add. : Swarn Computer Press, Hanuman Tikri, Front of Jalsar Park, Deoghar - 814112 (Jharkhand)

Affiliated To : Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries, Ranchi
Regtn. No. (SRA - 1860) : 708/2009-10 (Govt. of Jharkhand)

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, देवघर
SANTAL PARGANA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES, DEOGHAR

spccideoghar.2021@gmail.com | www.spccideoghar.in

PRESIDENT
ALOK KR. MALLICK
9934503132 | 8409386865

GENERAL SECRETARY
PRAMOD CHHAWCHHARIA
8709873483 | 9431132221

6. झारखण्ड में बाजार समिति शुल्क समाप्त होने के बाद काफी संख्या में कृषि उपज प्रसंकरण उद्योग लगे तथा कृषि उपजों की बिक्री बढ़ी और यहां के किसान तथा थोक एवं खुदरा विक्रेता लाभान्वित हो रहे थे। एक बार फिर से यह विवादित टैक्स लागू होने पर यहां का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा। 2015 में बाजार समिति शुल्क समाप्त किये जाने के बाद यहां लगभग 200 चावल और फ्लावर मिल लगे और लगभग 100 और नये मिल लगने के कगार पर है। फिर से बाजार समिति शुल्क प्रभावी होने पर यह उद्योग भारी घाटे में आकर बंद होने लगेंगे या फिर विस्थापित होने लगेंगे।
7. राज्य के 80 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत गरीब किसान हैं जो अपने अल्प मात्रा के उपज को अपने कस्बे या निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री करते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने अन्य राज्यों की तुलना झारखण्ड में लागू करने की बात की है जो राज्य के मौजूदा भौगोलिक कारणों से किसानों और व्यापारियों के साथ न्यायसंगत नहीं कही जा सकती है।
8. झारखण्ड में किसी भी मंडी में किसी भी किसान का कोई भी उत्पाद बाजार समिति में न तो बिकने के लिए लाया गया और न ही निहित प्रक्रिया (निलामी) के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था बाजार समिति के द्वारा की गई। जब मूल उद्देश्य ही प्रारंभ नहीं हुआ तो फिर बाजार समिति का अस्तित्व एवं बिना कोई सेवा के शुल्क वसूलने की कोशिश औचित्यहीन है।
9. बाजार समिति को पूर्ण रूप से भंग कर दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत विधेयक में बाजार समिति के पुनर्गठन और संरचना की जो बात बताई गई है, उससे भी राजस्व संग्रहण में वृद्धि की जगह अनैतिक वसूली और इंस्पेक्टर राज की वापसी का ही संकेत है।
10. विभिन्न जिलों में बाजार समिति की हालत किसी से छिपी नहीं है। हर जिले में बाजार समिति को एक बड़ा भूखंड उपलब्ध है। अगर सरकार सचमुच किसानों और व्यापार का भला चाहती है तो बाजार समिति की संरचनाओं का विस्तार करे, उसकी उपयोगिता बढ़ाए और उससे आय संवर्द्धन करे। बाजार समितियों में मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ वहां कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग कॉम्पलेक्स, लॉजिस्टिक एवं गोदाम, ट्रान्सपोर्टिंग यार्ड आदि विकसीत कर किसानों और व्यापारियों को उचित दर पर लाभ पहुंचा कर उनके व्यापार को समृद्ध कर सकती है। इससे कृषि विभाग की आय भी बढ़ेगी और वर्तमान में बाजार समिति में कार्यरत कर्मियों का विभाग में समंजन कर उनके वेतन भी बाजार समिति की संपत्ति और संरचनाओं से प्राप्त आय से ही हो जाएगी।

आशा है उपरोक्त तथ्यों पर समुचित विचार कर महोदय उपरोक्त विधेयक को वापस लेने की कृपा करेंगे।

आपका ही,

आलोक कुमार मल्लिक
अध्यक्ष, SPCCI

देवघर राइस मिल एसोसिएशन

देवघर जिला खुदरा दुकानदार संघ

मधुपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स

बाजार समिति आलू–प्याज विक्रेता संघ

बाजार समिति फल व्यवसायी संघ

सब्जी विक्रेता संघ

पेड़ा एवं प्रसाद विक्रेता संघ

देवघर जिला कृषक उत्पादन संघ (एफपीओ)

कृषक सहकारी समिति, देवघर

VICE PRESIDENT
UMESH RAJPAL
9431781598 | 7250784754

VICE PRESIDENT
SANJAY MALVIYA
9431134670 | 9576616022

VICE PRESIDENT
PIYUSH JAISWAL
9431163649 | 7717726102

JOINT SECRETARY
ANAND SAH
8521594569

TREASURER
DEEPAK SARAIYAN
9386651205

Correspondence Add. : Swarn Computer Press, Hanuman Tikri, Front of Jalsar Park, Deoghar - 814112 (Jharkhand)